न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 83/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. लालजी हैण्डीक्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर/मालिक रामप्रकाश सिंघल पुत्र श्री हरीकिशन सिंघल जाति सर्राफ सिंघल, उम्र 72 वर्ष निवासी उम्मेद भवन पैलेस रोड़ जोधपुर		1. कानाराम पुत्र स्व.श्री हेमाराम 2. बाबुलाल पुत्र स्व.श्री हेमाराम 3. श्रीमती कोजीदेवी पत्नि स्व.श्री हेमाराम 4. सुगनीदेवी पुत्री स्व.श्री हेमाराम 5. सीतादेवी पुत्री स्व.श्री हेमाराम 6. जमनादेवी पुत्री स्व.श्री हेमाराम 7. लीलादेवी पुत्री स्व.श्री हेमाराम सभी जाति राईका, निवासी ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर 8. तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1557 व 1558 दिनांक 23.05.2018 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा का फौतेदगी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल राठी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 30.09.2024

अपीलान्ट लालजी हैण्डीक्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर/मालिक रामप्रकाश सिंघल पुत्र श्री हरीकिशन सिंघल जाति सर्राफ सिंघल उम्र 72 वर्ष निवासी उम्मेद भवन पैलेस रोड़, जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट कानाराम पुत्र स्व.श्री हेमाराम जाति राईका निवासी ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1557 व 1558 ग्राम कुड़ी भगतासनी को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट लालजी हैण्डीक्राफ्ट के नाम से एक प्रोपराईटरशिप फर्म है, जिसके एकमात्र प्रोपराईटर/मालिक रामप्रकाश सिंघल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 [illegible] गेपरराम के उतराधिकारी पुत्र, पत्नि व पुत्रियां है। अपीलान्ट की खरी[illegible] क[illegible]दा उपयोग उपभोग व आधिपत्य की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बि[illegible] खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 [illegible] कुड़ी भगतासनी में [illegible]थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

व है। यह कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमियां पूर्व में हेमाराम पुत्र श्री गेपरराम, मगनीराम पुत्र श्री गेपरराम, सोनाराम पुत्र श्री रामाराम जाति राईका निवासी कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमियां थी और इन तीनों का नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियम खातेदार काश्तकार दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 के रेकर्डेड खातेदारान काश्तकारान हेमाराम पुत्र श्री गेपरराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पिता व पति) मगनीराम पुत्र श्री गेपरराम, सोनाराम पुत्र श्री रामाराम ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कुड़ी भगतासनी अपीलान्ट लालजी हैण्डीक्राफ्ट को विधिवत व विधिनुसार बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 05.05.1998 को विक्रय कर दी और अपनी इस कृषि भूमि का कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया, जो विक्रय विलेख उप-पंजीयक (प्रथम) जोधपुर के द्वारा दिनांक 21.11.2001 को पंजीबद्ध किया गया। वक्त खरीद से अपीलान्ट अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 पर बहैसियत मालिक काबिज है और इसका उपयोग उपभोग कर रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 7 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपीलान्ट के हक में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 05.05.1998 (पंजीबद्ध दिनांक 21.11.2001) के आधार पर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत करने का निवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 तहसीलदार जोधपुर ने अपीलान्ट को यह आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करके उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर देगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 अपीलान्ट की खरीदसुदा व कब्जासुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 के पूर्व खातेदारान में से हेमाराम पुत्र श्री गेपरराम के उतराधिकारी पुत्रगण, पत्नि व पुत्रियां है और उनको यह शुरू से ही जानकारी थी व है कि उनके पिता व पति स्व.श्री हेमाराम व उनके सह खातेदारान मगनीराम व सोनाराम ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमियों में से कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 को अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विक्रय करके विक्रय कर दिया था और मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपीलान्ट की खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 को हड़प करने की बदनीयति व मिलावट से बाले बाले अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम के स्वर्गवास दिनांक 13.01.2018 के उपरान्त अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम की खातेदारी की अन्य कृषि भूमियों के साथ ही अपीलान्ट की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 के संबंध में हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित करवा दिया और इसके बाद अपीलान्ट की खरीदसुदा कृषि भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 23.05.2018 को अपने नाम दर्ज करवा दिया एवं इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 23.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करवा दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हुई । अभी हाल ही में माह दिसम्बर 2023 को अपीलान्ट [illegible] संख्या 7 तहसीलदार जोधपुर से सम्पर्क करके उसके हक में निष्पादित विक्रय विलेख [illegible] आधार पर खसरा संख्या 337 व 338 का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत [illegible] का निवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

उप जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

संख्या 7 तहसीलदार जोधपुर ने अपीलान्ट को यह जानकारी दी कि उक्त भूमि के पूर्व खातेदार हेमाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उनके उतराधिकारियों के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण एवं हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके है। इसके उपरान्त अपीलान्ट ने अपनी खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड हेतु आवेदन करके प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.12.2023 को प्राप्त की तो जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम के स्वर्गवास दिनांक 13.01.2018 के उपरान्त अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम की खातेदारी की अन्य कृषि भूमियों के साथ ही साथ अपीलान्ट की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 का गलत रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 23.05.2018 को दर्ज करवा दिया और इसके साथ ही साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित हकतर्कनामा संख्या 1558 दिनांक 05.03.2018 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 1558 दिनांक 23.05.2018 को गलत रूप से दर्ज करवा दिया है, जो किसी भी रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थे ओर न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1557 व 1558 दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1557 व 1558 ग्राम कुड़ी भगतासनी को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित के बहस के दौरान अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल राठी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1557 व 1558 ग्राम कुड़ी भगतासनी को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम कुड़ी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचते है कि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 के रेकर्डेड खातेदारान काश्तकारान हेमाराम पुत्र श्री गेपरराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पिता व पति) मगनीराम पुत्र श्री गेपरराम, सोनाराम पुत्र श्री रामाराम ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 337 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कुल दो खसरान की 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम कुड़ी भगतासनी अपीलान्ट लालजी हैण्डीक्राफ्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक [illegible].05.1998 को विक्रय कर दी जिसका विक्रय विलेख उप-पंजीयक (प्रथम) जोधपुर [illegible] दिनांक 21.11.2001 को पंजीबद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

नगर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

किया गया था। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट की खरीदसुदा व कब्जासुदा कृषि भूमि है और अपीलान्ट इसका उपयोग उपभोग कर रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपीलान्ट की खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 को अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम के स्वर्गवास दिनांक 13.01.2018 के पश्चात् अपने पिता व पति स्व.श्री हेमाराम की खातेदारी की अन्य कृषि भूमियों के साथ ही अपीलान्ट की खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 का भी फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 23.05.2018 को अपने नाम दर्ज करवा दिया एवं इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 23.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करवा दिया। तहसीलदार जोधपुर ने अपीलान्ट की खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 की मौके की जांच किये बगैर व उक्त विक्रय विलेख दिनांक 05.05.1998 (पंजीबद्ध दिनांक 21.11.2001) की जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पिता व पति स्व. श्री हेमाराम की खातेदारी की अन्य कृषि भूमियों के साथ ही अपीलान्ट की खरीदसुदा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 337 व 338 के संबंध में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1557 दिनांक 23.05.2018 को निष्पादित कर दिया एवं इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1558 दिनांक 23.05.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.2018 को स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण 1557 ग्राम कुड़ी भगतासनी व हकतर्कनामा दिनांक 05.03.2018 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1558 ग्राम कुड़ी भगतासनी को निरस्त किया जाकर तहसीलदार कुड़ी भगतासनी, जोधपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी से जुड़े हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुड़ी भगतासनी, जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/24

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested